बिरमसिंह V/S शांतिदेवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	दावा 113/2019
	16/10/19 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान अनुपस्थित। वास्ते [illegible] पेश होवे 17/10/19 को [signature] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
	17/10/19 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण। इन्द्राज दुरुस्ती नक्शा हेतु एवं खातेदारी निर्धारण को स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा गया है। निर्णय शामिल पत्रावली किया जाकर बाद तामील पत्रावली दाखिल किया गया। प्रकरण दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई मुकाम–बॉदीकुई

जज इजलास– रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई

उनवान– विकम बनाम शान्ती वगै.

दावा बाबत– दुरूस्ती इन्द्राज नक्शा ट्रेस व स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण सं.– 113/2019

आदेश है कि वादीगण वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण दुरूस्ती इन्द्राज नक्शा ट्रेस व स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाकर ग्राम उदेरवाडा के खाता संख्या नया 85 पुराना 83 के ख.नं. 307 रकबा 0.01 हैक्टे.ख.नं. 308 रकबा 0.46 हैक्टे.ख.नं. 309 रकबा 0.36 हैक्टे. कुल किता 3 कुल रकबा 0. 83 हैक्टे. में तहसीदार बांदीकुई साबिक नक्शा ट्रेस एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस से मिलान कर यदि अन्तर हो,तो नियमानुसार शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी भूमि में किसी भी प्रकार की दखल पैदा ना करे। पर्चा डिकी जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 17.10.2024 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

निज..............................मुबलिग..बाबत्...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 10 सन् 2024 को जारी की गई।

17.10.24

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
उप जिला कलक्टर
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्आम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

दस्तखत.................. 17.10.24

ओहदा..................

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपजिला कलैक्टर एवं उपजिला मजि० बॉदीकुई जिला दौसा।

मु.न. 113/2019
दायर दिनांक 19.06.2019
दिनांक 17.10.2024

उनवान

1. विक्रमसिंह पुत्र भंवरसिंह
2. सोनूसिंह पुत्र भंवरसिंह
3. रामवती पत्नी भंवरसिंह

} समस्त जाति राजपुत निवासी उदेरवाडा

वादीगण..............।

बनाम

1. शान्तिदेवी पत्नी बच्चनसिह जाति राजपूत निवासी उदेखाडा तहसील बसवा जिला दौसा।
2. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बिवाई जरिये व्यवस्थापक पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिवाई, तहसील जिला दौसा।
3. यूकों बैक, शाखा बडियालकलां जरिये व्यवस्थापक यूको बैंक शाखा बडियालकलां तहसील बसवा जिला दौसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार महोदय, बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।
5. सहायक भू–प्रबन्धक महोदय, अलवर जिला अलवर।

प्रतिवादीगण.................।

दावा दुरूस्ती इन्द्राज नक्शा ट्रेस व स्थायी निषेधाज्ञा

::–निर्णय–::

दिनांक 17.10.2024

वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा दुरूस्ती इन्द्राज नक्शा ट्रेस स्थायी निषेधाज्ञा बाबत जरियें अधिवक्ता द्वारा न्यायालय हाजा में पेश किया गया था। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:– वादीगण के ग्राम उदेरवाडा के खाता संख्या नया 85 पुराना 83 के ख.नं. 307 रकबा 0.01 हैक्टे., ख.नं. 308 रकबा 0. 46 हैक्टे., ख.नं. 309 रकबा 0.36 हैक्टे. कुल किता 3 कुल रकबा 0. 83 हैक्टे. जिसके वादीगण खातेदार कास्तकार है तथा काबिज काश्त कर उपयोग–उपयोग करते चले आ रहे है। वादीगण की भूमि के साबिक न. 94 रकबा 12 बिस्वा थे जिसमें 1/2 हिस्सा वादीगण का है, नकल साबिका जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल पेश है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादीगण के पडोसी है, जिसके ख.न. 303 रकबा 0.37 हैक्टे. चाही ए खसरा नम्बर 0.42 हैक्टेयर चाही 1, खसरा नम्बर 353/308 रकबा 0.05 हैक्टे. चाही 2 कुल किता 3 कुल रकबा 0.84 हैक्टे. स्थित ग्राम उदेरवाडा में स्थित है, उक्त खसरा नम्बर साबिका नम्बर 94 से बने है। नकल जमाबन्दी संवत 2073–76 पेश है। वादीगण के खसरा नम्बर 307 रकबा 0.01 हैक्टे खसरा नम्बर 308 रकबा 0.46 हैक्ट, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.36 हैक्टेर कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 हैक्टेयर है। जिसका राजस्व अभिलेख जमाबंदी में इन्द्राज हो रहा है, किन्तु वर्तमान नक्शा शीट में रकबा लगभग 0.13 हैक्टे. कम भूमि की तरमीम कर रखी है। जबकि मौके पर वादीगण का रकबा 0.83 हैक्टे. पर काबिज है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा अपने–अपने 1/2–1/2 हिस्से अनुसार भूमि पर काबिज है तथा दोनो के मध्य खाम डोल स्थित है तथा साबिका ख.नं. 94 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा के चारो ओर बुजुर्गो के समय से खाम डोल बनी हुई है। जिसका साबिका नक्शा जमाबंदी में जो रकबा दर्शित है, उसी अनुसार मौके पर रकबा है तथा उसी अनुसार 1/2 हिस्से पर वादीगण व 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी सं. 1 काबिज है तथा स्वयं प्रतिवादीगण सं. 1 ने वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बने डोल के लगते हुए अपना रिहायशी मकान बना रखा है।

Scanned with OKEN Scanner

भूप्रबन्धक द्वारा उक्त वादीगण के ख.नं. 307, 308, 309 कुल रकबा 0.83 हैक्टे. की नक्शा ट्रेस में 0.70 हैक्टे. की गलत तरमीम कर रखी है, जो जबकि वास्तविकता में ख. नं. 307, 308, 309 कुल रकबा 0.83 हैक्टे. राजस्व अभिलेख जमाबंदी में इन्द्राज है और उसी इन्द्राज अनुसार वादीगण का कब्जा काश्त है। किन्तु गलत तरीके से साबिका नं. 94 की नक्शा शीट से वर्तमान नक्शा ट्रेस से गलत इन्द्राज कर करीब 0.13 हैक्टे. वादीगण के हिस्से का कम नक्शा शीट दर्शित कर दिया व वादीगण का रकबा नक्शा ट्रेस में 0.13 हैक्टे. जो कम कर दिया, उसका रकबे को कम करने का भूप्रबन्धक को कोई अधिकार नहीं है। भू प्रबन्धक अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी अधिकार, विधि विपरीत नक्शे में गलत तरमीम कर वास्तविक रकबे से कम रकबा करने की तरमीम की है, जिसका न तो कोई औचित्य है, न भूप्रबन्धक को कोई अधिकार है। भू प्रबन्धक अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी अधिकार विधि विपरीत नक्शे में गलत तरमीम कर रकबे को कम किया है। जिसे राजस्व अभिलेख जमाबंदी के अनुसार भूप्रबन्धक से पूर्व जो नक्शा से इन्द्राज है, के अनुसार वर्तमान नक्शे में संशोधन होना आवश्यक तथा दुरूस्ती इन्द्राज पेश है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दिनांक 02.11.2018 को मौके पर सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराने पर पटवारी हल्का द्वारा जमाबंदी के अनुसार नक्शे में रकबा कम होना बताया, तब वादीगण को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई कि नक्शे में भूप्रबन्धक द्वारा गलत तरमीम कर वादीगण के ख.नं. 307, 308, 309 कुल रकबा 0.83 हैक्टे. का रकबा करीब 0.13 हैक्टे कम कर प्रतिवादी सं. 01 के खसरा नम्बरान के रकबे में गलत तरमीम कर रखी है, वादीगण ने हल्का पटवारी से दुरूस्ती के लिये कहा तो हल्का पटवारी ने कहा कि न्यायालय में दावा पेश कर आदेश प्राप्त करें व प्रतिवादीगण से सहमति प्राप्त करें। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 01 से तहसील बसवा में चलकर उक्त गलत नक्शा ट्रेस में जो तरमीम है, उसे दुरुस्त करवाने को कहा तो एलानियां मना कर दिया और प्रतिवादी ने उल्टा वादीगण से कहा कि हम तो जहां हमारी नक्शे में जितनी हमारी तरमीम हो रही है, उस सीमा तक हम पुख्ता निर्माण कर उस हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करके रहेगें, वादीगण ने काफी समझाया कि गलत इन्द्राज भूप्रबन्धक की वजह से हुआ है। तुम्हारा इस 0.13 हैक्टे. भूमि से कोई वास्ता नहीं है। किन्तु प्रतिवादीगण ने एलानियां कह दिया कि हम किसी की नहीं मानेगें और हमारी पहुँच आगे तक है और इस नक्शे के आधार पर हमें निर्माण करने या काश्त करने से पुलिस या कोई कोर्ट नहीं रोक सकती। इसलिए दावा स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। वाद सहायक भूप्रबन्धक के गलत इन्द्राज के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें धारा 80 (2) जा.दी. के नोटिस की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कोई कानूनी अडचन हो तथा वादीगण को अपनी भूमि में दुरुस्ती डे व दावा अर्जेन्ट नेचर का होने से वाद धारा 80 (2) जा.दी. के प्रावधानों के अन्तर्गत न्यायालय हाजा की अनुमति से दावा पेश है। बिनाय दावा दिनांक 02.11.2018 को गलत इन्द्राज की जानकारी होने से व. प्रतिवादिया के द्वारा दुरुस्ती से इन्कार करने से न्यायालय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। पक्षकारान व भूमि काश्त न्यायालय क्षेत्र में स्थित है। इसलिए न्यायालय हाजा को वाद सुनने का अधिकार है। दावा अन्दर मियाद पेश है। लिहाजा इस्तदुआ है कि बाद तहकीकात दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी पारित की जावें। अ. सहायक भूप्रबन्ध द्वारा साबिका नम्बर 94 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा जिसका इन्द्राज साबिका जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा है जिसका वर्तमान नक्शा ट्रेस में रकबा करीब 13 बिस्वा कम कर गलत नक्शा ट्रेस तरमीन कर देने से वादीगण को खसरा नं. 307 रकबा 0.01 हैक्टे., ख.नं. 308 रकबा 0.46 हैक्टे., ख.नं. 309 रकबा 0.36 हैक्टे. कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 हैक्टेयर की वर्तमान नक्शा ट्रेस में वादीगण के वास्तविक रकबा 0.83 हैक्टेयर के स्थान पर नक्शा सीट में जो रकबा 0.70 हैक्टेयर गलत दर्शित कर दिया है उसको दुरूस्त कर वादीगण का ख.नं. 307, 308, 309 का वास्तविक कब्जा 0.83 हैक्टे. दर्शित किया जाकर नक्शे में संशोधन किया जावें। ब. यह है कि वादीगण की भूमि ख.नं. 307, 308, 309 रकबा 0.83 हैक्टे. में रकबा 0.13 हैक्टे. भूमि जो गलत तरमीम कर वादीगण का रकबा कम कर देने से वादीगण के रकबा 0.13 हैक्टेयर गलत कर रखी है, उस गलत इन्द्राज की आड में प्रतिवादी सं. 01 किसी भी प्रकार का कोई खाम या पुख्ता निर्माण नहीं करें, फसल बोने व काटने में कोई व्यवधान पैदा न करें, वादीगण के उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे, इस अमर से प्रतिवादीगण सं. 1 व उसके वारिसान, नौकर, एजेन्ट पाबन्द रहे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गईः– प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से सम्पतराम एडवोकेट द्वारा पावर पेश की गई। प्रतिवादी संख्या 1 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर जवाब पेश नही करने पर जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली वादी साक्ष्य पर नियत की गई। साक्ष्य शपथ पत्र विकम सिंह, सोनू सिंह का पेश किया गया। विकम सिंह से जिरह प्रतिवादी वकील गई। वादी साक्ष्य बन्द की जाकर प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी पर नियत किया गया प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य पेश नही किये जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस पर नियत की गई ।

Scanned with OKEN Scanner

बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता द्वारा अपने दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क किया है कि सहायक भूप्रबन्ध द्वारा साबिका नम्बर 94 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा जिसका इन्द्राज साबिका जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा है जिसका वर्तमान नक्शा ट्रेस में रकबा करीब 13 बिस्वा कम कर गलत नक्शा ट्रेस तरमीन कर देने से वादीगण को खसरा नं. 307 रकबा 0.01 हैक्टे., ख. नं. 308 रकबा 0.46 हैक्टे., ख.नं. 309 रकबा 0.36 हैक्टे. कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 हैक्टेयर की वर्तमान नक्शा ट्रेस में वादीगण के वास्तविक रकबा 0.83 हैक्टेयर के स्थान पर नक्शा सीट में जो रकबा 0.70 हैक्टेयर गलत दर्शित कर दिया है उसको दुरूस्त कर वादीगण का ख.नं. 307, 308, 309 का वास्तविक कब्जा 0.83 हैक्टे. दर्शित किया जाकर नक्शे में संशोधन किया जावें। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

न्यायालय द्वारा बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी वादग्रस्त भूमि के साबिक नक्शा ट्रेस अनुसार वर्तमान नक्श ट्रेस में संशोधन चाहता है। प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नही कर वाद का खण्डन नही किया गया है। जिसके कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नही हुय है। वादी द्वारा वाद की ताईद में फर्द मौका सीमाज्ञान प्रदर्श-1, प्रदर्श 2 ग्राम उदेरवाडा के खाता संख्या नया 85 पुराना 83 की जमाबन्दी ,ग्राम उदेरवाडा की जमाबन्दी संवत 2073-2076 खाता संख्या नया 87 पुराना 85 प्रदर्श 4 मिलान क्षेत्रफल संवत 2052 से 2071 प्रदर्श 5 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श 6 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श 7 जमाबन्दी संवत 2023 से 2041, प्रदर्श 8 संवत 2043, प्रदर्श 9 नामान्तरण पेश किये गये। प्रकरण साबिक नक्शा ट्रेस अनुसार से वर्तमान नक्सा ट्रेस में संशोधन करने का है। दस्तावेजात के अवलोकन के आधार साबिक नक्शा एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस में अन्तर होना प्रतीत होता है। दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादी वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण दुरूस्ती इन्द्राज नक्शा ट्रेस व स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाकर ग्राम उदेरवाडा के खाता संख्या नया 85 पुराना 83 के ख.नं. 307 रकबा 0.01 हैक्टे.ख.नं. 308 रकबा 0.46 हैक्टे.ख.नं. 309 रकबा 0.36 हैक्टे. कुल किता 3 कुल रकबा 0. 83 हैक्टे. में तहसीदार बांदीकुई साबिक नक्शा ट्रेस एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस से मिलान कर यदि अन्तर हो,तो नियमानुसार शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा किया जाता है कि वादी की खातेदारी भूमि में किसी भी प्रकार की दखल पैदा ना करे। पर्चा डिकी जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 17.10.2024 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

17.10.24

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
उप जिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner